

प्रेस नोट थाना रोजा

जनपद - शाहजहांपुर

सराहनीय कार्य दिनांक- 25.08.2025

“थाना रोजा पुलिस द्वारा एक जिला बदर अपराधी को जनपद की सीमा से किया बाहर”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, शाहजहांपुर के कुशल निर्देशन, श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय व क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में जिला बदर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में मा० न्यायालय द्वारा उद्घोषित जिला बदर अपराधियों को जिले से बाहर करने के अभियान के क्रम में थाना रोजा पुलिस द्वारा आज दिनांक 25.08.2025 को जिला बदर अभियुक्त आजाद पुत्र मुलायम, नि० मो० नियाजपुर, थाना रोजा, जनपद शाहजहांपुर को जिले से बाहर किया गया।

थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय, जनपद शाहजहांपुर के न्यायालय द्वारा जारी जिला बदर नोटिस राज्य बनाम आजाद उपरोक्त अन्तर्गत धारा 3(1) अधिनियम उ०प्र० गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1970 के अनुपालन के क्रम में सम्बन्धित अभियुक्त आजाद पुत्र मुलायम, नि० मो० नियाजपुर, थाना रोजा, जनपद शाहजहांपुर को उनके मस्कन पर तलाश कर आदेश बजात खास हस्ताक्षर बनवाकर उसके परिवारीजनों के समक्ष अवगत कराया गया कि आज दिनांक 25.08.2025 से 06 माह की अवधि तक जनपद शाहजहांपुर की सीमा से बाहर रहेगा। अभियुक्त आजाद उपरोक्त को जनपद की सीमा से बाहर लखीमपुर खीरी के बार्डर पर थाना उचौलिया की सीमा में छोड़ा गया।

जिला बदर अभियुक्त का विवरण:-

आजाद पुत्र मुलायम, नि० मो० नियाजपुर(उम्र करीब 30 वर्ष), थाना रोजा, जनपद शाहजहांपुर।

जिला बदर अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

मु०अ०सं० 695/24 धारा 3/25 आयुध अधि०
मु०अ०सं० 93/22 धारा 4/25 आयुध अधि०
मु०अ०सं० 265/21 धारा 60(1) EX. Act
मु०अ०सं० 266/21 धारा 4/25 आयुध अधि०
मु०अ०सं० 409/20 धारा 8/20 NDPS Act
मु०अ०सं० 410/20 धारा 4/25 आयुध अधि०

जिला बदर करने वाली टीम का विवरण:-

- 1.प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार थाना रोजा शाहजहांपुर।
- 2.उ०नि० श्री सत्येन्द्र पाल सिंह थाना रोजा शाहजहांपुर।
- 3.का० 845 अंकित कुमार थाना रोजा शाहजहांपुर।